

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-121/2014/

दिनांक :

-: आदेश :-

निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 08.12.14 से 07.01.15 तक Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	डा० सचिन कुमार खण्डेलवाल	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र सुन्दरवाली (भरतपुर)
2.	डा० जयनारायण विश्णोई	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र रजियासर भाटियान (बीकानेर)
3.	डा० अशोक यादव	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र फागलिया (बाडमेर)
4.	डा० सुनील कुमार	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र झाडिया (चूरु)
5.	डा० मनोज ढूढी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र नन्दिया (सिरोही)
6.	डा० विजय पाल वर्मा	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र लाडनू (नागौर)
7.	डा० ओम प्रकाश सैनी	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र रायपुर (पाली)
8.	डा० सुभाष चन्द महरडा	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र खिरोड (झुन्झुनू)
9.	डा० अन्जना चौधरी	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र कांवट (सीकर)
10.	डा० मोहित देवल	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र मकरवाली (अजमेर)
11.	डा० प्रकाश चन्द चौधरी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र गनाला (अलवर)
12.	डा० भुवनेश कुमार मित्तल	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र महारावर (भरतपुर)
13.	डा० गंगाधर	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र भोजनगर (झुन्झुनू)
14.	डा० रेखा चौधरी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र नुपरा (पाली)
15.	डा० घनश्याम सिंह	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र जैतसर (श्रीगंगागर)
16.	डा० चिरंजीलाल दायमा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र रावला (श्रीगंगानगर)
17.	डा० रमाकान्त शर्मा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र जैतसीसर (चूरु)
18.	डा० चिराग मलिक	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र परानियां (बांरा)
19.	डा० बुद्धी प्रकाश गौतम	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बहरावडा कलॉ (सवाईमाधोपुर)
20.	डा० देवेन्द्र कुमार लता	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र उमादा (सीकर)
21.	डा० सुरेश चौधरी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बोरदा (जालौर)
22.	डा० अरुण यादव	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र सरगोठ (सीकर)
23.	डा० श्याम स्वरूप शर्मा	चि०अ०	सामु.स्वा.केन्द्र मालपुरा (टोक)
24.	डा० मेघा अग्रवाल	चि०अ०	राजकीय हरिबक्श कांवटिया जिला चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर (दन्त)
25.	डा० अंजली ब्रिज	चि०अ०	राजकीय हरिबक्श कांवटिया जिला चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर

P.T.O.

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नहीं।

//2//

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 08.12.14 को प्रातःकाल 09:30 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6)ट्रेनिंग (पीएल-2)/आर.एच.एस.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट : यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-121/2014/739

दिनांक : 11/12/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक (RCH), मुख्यालय जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक 10472 दिनांक 27.11.14 एवं 10615 दिनांक 29.11.14 के क्रम में भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सक।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर।
6. संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 08.12.14 को प्रातः 09:30 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।